न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली **संख्या.** 83/2023
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 27.10.2023

निर्णय दिनांक : 06.05.2025

उनवान

1. प्रेम प्रकाश उर्फ मयुर जैन पिता टोडरमल जाति महाजन निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद, राजस्थान

वादी

–:बनाम:–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

प्रतिवादी

दावा :– वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**
प्रतिवादी की ओर से :– **पेरोकार**

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव किशनपुरिया पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 74 के आराजी नम्बर 785/287, 786/287 कुल किता 02 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कृषि भूमियां मुझ वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.89 को क्रय की थी तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड मे भूमियां मुझ वादी के नाम पर दर्ज हुई थी। वादी का प्रेम प्रकाश उर्फ मयुर जैन दोनो नाम थे, किन्तु वादी द्वारा दिनांक 09.09.1992 को उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद के यहां प्रेमप्रकाश की जगह अपना नाम मयुर जैन बदलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा दिनांक 15.09.1992 को प्रेमप्रकाश नाम बदल कर मयुर जैन नाम कर दिया। उसके पश्चात् वादी के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि मे प्रेमप्रकाश की जगह मयुर जैन अंकित करवा दिया, किन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियो के राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश पुत्र टोडरमल के नाम से ही अंकित है, इन परिस्थितयो मे यह आवश्यक हो गया है कि प्रेमप्रकाश व मयुर जैन दोनो ही नाम वादी के है, वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादी के हक, अधिकार एवं आधिपत्य है जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट

है। वादी के सभी दस्तावेज मयुर जैन के नाम से ही है एवं राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम प्रेमप्रकाश अंकित है, इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश के स्थान पर मयुर जैन नाम अंकित करवाना चाहता है, ताकि वादी अपनी कृषि भूमियो का समुचित उपयोग उपभोग कर सके, इसलिए वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे कि प्रेमप्रकाश व मयुर जैन दोनो ही नाम वादी के ही है एवं उक्त वर्णित भूमि वादी के हक, कार, आधिपत्य की है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश पुत्र टोडरमल का नाम विलोपित किया जाकर मयुर जैन पुत्र टोडरमल नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कर अंकित किया जावे। वाद कारण एक माह पूर्व से उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की, जिसमे वादी का नाम प्रेमप्रकाश अंकित होने की जानकारी होने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की डिकी पारित की जावे कि प्रेमप्रकाश व मयुर जैन दोनो ही नाम वादी के ही है, उक्त वर्णित भूमि वादी के हक, अधिकार, आधिपत्य की है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश पुत्र टोडरमल का नाम विलोपित किया जाकर मयुर जैन पुत्र टोडरमल नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कर अंकित किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का बचपन का नाम प्रकाश जैन पुत्र टोडरमल जैन था। दिनांक 06–11–1989 को उप पंजीयन सरदारगढ़ द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र से. 225/89 द्वारा भैरूलाल पिता उदयराम जाति जाट से प्रेम प्रकाश पुत्र टोडरमल जैन के नाम ग्राम किसनपुरिया में कृषि भूमि खरीदी गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार व मौतबिरानों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/09/1992 को उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रकाश जैन पिता टोडरमल से मयुर जैन पिता टोडरमल नाम परिवर्तन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि उक्त प्रेमप्रकाश पिता टोडरमल जैन व मयुर पिता टोडरमल जैन दोनो एक ही व्यक्ति है। वर्तमान में प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि में नाम मयुर जैन पुत्र टोडरमल निवासी आमेट है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2021 को दैनिक नवज्योति के पृष्ठ संख्या 06 पर अपने नाम परिवर्तन की खबर प्रकाशित करवाई थी।

पत्रावली मे निम्न तनकीयात कायम की गयी–

1. आया वादपत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित भूमि वादी के हक अधिकार आधिपत्य की है, प्रेमप्रकाश व मयुर जैन दोनो ही नाम वादी के है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश का नाम विलोपित किया जाकर मयुर जैन नाम राजस्व रेकार्ड मे दुरस्त कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. अनुतोष।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य मे शपथ पत्र पी–डब्ल्यू 1 प्रेमप्रकाश उर्फ मयुर जैन पिता टोडरमल जाति जैन निवासी आमेट, पी–डब्ल्यू 2 राजेन्द्र कुमार जैन पिता टोडरमल जाति जैन निवासी आमेट पेश किया। बयान शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमियां मुझ वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.89 को क्रय की थी तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड मे भूमियां मुझ वादी के नाम पर दर्ज हुई थी। वादी का प्रेम प्रकाश उर्फ मयुर जैन दोनो नाम थे, किन्तु वादी द्वारा दिनांक 09.09.1992 को उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद के यहां प्रेमप्रकाश की जगह अपना नाम मयुर जैन बदलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा दिनांक 15.09.1992 को प्रेमप्रकाश नाम बदल कर मयुर जैन नाम कर दिया। उसके पश्चात् वादी के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि मे प्रेमप्रकाश की जगह मयुर जैन अंकित करवा दिया, किन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियो के राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश पुत्र टोडरमल के नाम से ही अंकित है। वादी उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः उक्त वर्णित भूमि वादी के हक, अधिकार, आधिपत्य की है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे प्रेमप्रकाश पुत्र टोडरमल का नाम विलोपित किया जाकर मयुर जैन पुत्र टोडरमल नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कर अंकित किया जावे।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन से ताईद है कि वादी ने उक्त वर्णित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रेमप्रकाश पिता टोडरमल जाति जैन से क्रय की थी और प्रार्थी ने दिनांक 15/09/1992 को उप जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रकाश जैन पिता टोडरमल से मयुर जैन पिता टोडरमल नाम परिवर्तन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2021 को दैनिक नवज्योति के पृष्ठ संख्या 06 पर अपने नाम परिवर्तन की खबर प्रकाशित करवाई थी। तहसीलदार आमेट द्वारा पेश मौका पर्चा मे प्रेमप्रकाश जैन व मयुर जैन अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। वादी के सभी दस्तावेजों मे मयुर पिता टोडरमल जाति जैन नाम ही अंकन होना जाहिर आया हैं, वादी प्रेमप्रकाश पिता टोडरमल के स्थान पर मयुर जैन पिता टोडरमल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य साबित है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 घोषणा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व गांव किशनपुरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 74 के आराजी नम्बर 785/287, 786/287 कुल किता 02 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि मे प्रेमप्रकाश पिता टोडरमल को विलोपित करते हुये के स्थान पर मयुर जैन पिता टोडरमल राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **22.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 83/2023
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 27.10.2023 निर्णय दिनांक : 06.05.2025

उनवान

1. प्रेम प्रकाश उर्फ मयुर जैन पिता टोडरमल जाति महाजन निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद, राजस्थान

वादी

–:बनाम:–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

प्रतिवादी

दावा :– वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**
प्रतिवादी की ओर से :– **पेरोकार**

मे इस आशय में दिनांक 06.05.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 घोषणा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व गांव किशनपुरिया पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 74 के आराजी नम्बर 785/287, 786/287 कुल किता 02 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि मे प्रेमप्रकाश पिता टोडरमल को विलोपित करते हुये के स्थान पर मयुर जैन पिता टोडरमल राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं।

नोट:– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

आज दिनांक को 06.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, आमेट, जिला–राजसमन्द

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)